निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 797) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचना

4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०–01–19/2017–168 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 19, 2017]

बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017

बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संशोधन एवं विधिमान्यकरण करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह पहली जुलाई, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–14 का संशोधन।–बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा–14 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा–

''14. कर की दर।–मालों की विक्रय कीमत पर पचास प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से, जो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कर संदाय होगा।''

3. विधिमान्यकरण।–(1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन सभी प्रयोजनों हेतु 2017 के जुलाई माह की पहली तारीख के प्रभाव से सभी तात्विक समय में विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत्त एवं सदैव प्रवृत्त समझा जायेगा।

(2) इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पूर्व बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (बिहार अधिनियम 13, 2017 द्वारा यथा संशोधित) की धारा–14 एवं धारा–13 की उपधारा (1) के अधीन निर्गत कोई अधिसूचना, सभी प्रयोजनों हेतु, 2017 के जुलाई माह की पहली तारीख के प्रभाव से, विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से प्रवृत्त समझी जाएगी।

(3) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन या उपधारा (2) में वर्णित अधिसूचनाओं के अधीन अधिरोपित या संग्रहित कोई कर, सभी प्रयोजनों हेतु विधिमान्यतः एवं प्रभावकारी रूप से अधिरोपित, निर्धारित, संग्रहित समझा एवं सदैव समझा जाएगा मानो उक्त अधिसूचनाएँ सभी तात्विक समय में प्रवृत्त थीं एवं किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार के किसी निर्णय, डिक्री अथवा आदेश में किसी बात के होते हुए भी–

(क) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन या उपधारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के द्वारा प्राप्त या संग्रहित किसी राशि की वापसी हेतु किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार में कोई वाद या कोई कार्रवाई न तो प्रारंभ की जायेगी, न चलायी जायेगी और न ही जारी रखी जायेगी;

(ख) बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन या उपधारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के द्वारा प्राप्त या संग्रहित किसी राशि की वापसी हेतु किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण अथवा अन्य प्राधिकार द्वारा कोई डिक्री अथवा आदेश का प्रवर्त्तन नहीं कराया जायेगा;

(ग) ऐसी सभी राशि, जो बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन या धारा–13 की उपधारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के फलस्वरूप संग्रहित की जा सकती थी परंतु जिनका संग्रहण नहीं किया गया हो, बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–14 में किए गए संशोधन या उपधारा (2) के अधीन निर्गत अधिसूचनाओं के अनुरूप वसूल की जा सकेगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

4 सितम्बर 2017

सं० एल०जी०–01–19/2017–169 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत बिहार काराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2017 का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 19, 2017]

THE BIHAR TAXATION LAW (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 2017

AN

ACT

to amend and validate the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Bihar Act 27, 2005).

BE it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.—***(1) This Act may be called the Bihar Taxation Law (Amendment and Validation) Act, 2017.

(2) It extends to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with effect from the first day of July, 2017.

2. ***Amendment of section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005).- Section 14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (Act 27 of 2005) shall be substituted by the following, namely:-***

"**14. Rate of Tax.-** Tax shall be payable on the sale price of the goods at such rate not exceeding fifty percent and subject to such conditions and restrictions, as the State Government may, by notification specify."

3. ***Validation*** **.—** (1) The amendment made in Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 shall be deemed to be in force and always be in force, for all purposes, validly and effectively for all material times with effect from the first day of July, 2017.

(2) Any notification under sub-section (1) of Section-13 and Section-14 of the Bihar Value Added Tax Act, 2005 (as amended by Bihar Act 13 of 2017) issued before the commencement of this Act shall be deemed to be, for all purposes, as validly and effectively issued with effect from the first day of July, 2017.

(3) Any imposition of tax, or collection, made in pursuance of amendment made in Section-14 or notifications mentioned in sub-section (2) shall be deemed to be and to have always been, for all purposes, as validly and effectively, imposed, assessed, collected, as if the said notifications had been in force at all material times and accordingly, notwithstanding anything contained in any judgment, decree, or order of any Court, or Tribunal or other authority:-

(a) No suit or other proceedings shall be maintained or continued in any Court, Tribunal or other authority for the refund of any amount received or realized by way of amendment made in Section-14 or notifications as mentioned in sub-section (2).

(b) No Court, tribunal or other authority shall enforce any decree, or order directing the refund of any amount received or realized by way of amendment made in Section-14 or any notifications as mentioned in sub-section(2).

(c) Recoveries shall be made in accordance with the amendment made in Section-14 or notifications as mentioned in sub-section (2) of all amounts which could have been collected by the amendment made in Section-14 or notifications as mentioned in sub-section (2) but which had not been collected.

By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)797-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in